

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML -IX)/2024/ई - 09629

Corrigendum

खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20.02.2025 से खनिज बैराईट्स, फ़ैल्सपार, अभ्रक एवं क्वार्टज को प्रधान खनिज में सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिसूचना की पालना में निदेशालय विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML -IX)/2024/ई- 09629 दिनांक 24.12.2024 के क्रम संख्या 141, 154 एवं निदेशालय विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी ;ML -02)/2025/ई-09834 दिनांक 13.01.2025 के क्रम संख्या 182, 231, 244, 245, 246 तथा निदेशालय विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML -03)/2025/ई -10231 दिनांक 16.02.2025 के क्रम संख्या 54, 56, 60, 62, 63, 66, 69, 72, 74, 75, 80, 84, 92, 176, 177 पर अंकित प्लॉटों की ई-नीलामी को निरस्त किया जाता है।

(महेश माथुर)
अति.निदे.(खान-मु0)

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML -IX)/2024/ई - 09629

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. क्षेत्रिय प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाइट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के.का., उदयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान)।
4. समस्त अधीक्षण खनि अभियंता, वृत्त।
5. समस्त खनि अभियंता।
6. समस्त सहायक खनि अभियंता।
7. निदेशालय पत्रावली क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML -02)/2025/ई - 09834 एवं निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML -03)/2025/ई-10231 में रेकार्ड संधारण हेतु।

अति.निदे.(खान-मु0)

